दिनांक- 15.12.2025

-प्रेस नोट-

“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही □
थाना नकुड़ पुलिस टीम का अवैध नशा तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 21 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदो में **“ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।*

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.12.2025 थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **अभियुक्त हिमांशू उर्फ माटू पुत्र विनोद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड सहारनपुर** को अम्बेहटा रोड पर ग्राम छुछकपुर बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 21 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 586/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हिमांशू उर्फ माटू पुत्र विनोद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

21 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 536/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. का0 946 आजाद पाल सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. का0 202 विवेक धामा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.12.2025

सहारनपुर पुलिस की सराहनीय कार्यवाही

थाना नागल पुलिस द्वारा गबन के उद्देश्य से लूट की झूठी सूचना का पर्दाफाश करते हुए आरोपी चालक/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर गबन के 14,100/- रूपये नकद, 01 मोबाइल फोन व चाबी बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 14.12.2025 को चालक सर्वजीत सिंह पुत्र संतोक सिंह निवासी बंजरबाग थाना सदर होशियारपुर (पंजाब) से एसीएफ 29P एमडीसी सेक्टर 5 पंचकूला (हरियाणा) सफर ट्रेवल्स की मिनी बस स0 CH02AA7404 को ग्राम मीरपुर मोहनपुर मे बुकिंग पर लेकर आया था और चालक सर्वजीत उपरोक्त ने समय करीब 18.00 बजे जरिये दूरभाष सूचना दी कि समय करीब 16.30 बजे बिना नंबर की मोटर साइकिल सवार दो व्यक्ति अस्लाह दिखाकर उनसे नकदी, मोबाइल फोन वीवो व बस की चाबी लूटकर ले गए।

वादी/बस मालिक श्री सगीर अहमद पुत्र स्व0 शब्बीर अहमद निवासी माढी वाला टाउन थाना मनिमाजरा जिला चंडीगढ़ की लिखित सूचना के आधार पर अभियुक्त/चालक सर्वजीत उपरोक्त के विरूद्ध थाना नांगल पर मु0अ0सं0 407/25 धारा 316(2),317(2),217 बीएनएस के पंजीकृत किया गया है।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर शीघ्र अतिशीघ्र घटना का खुलासा व घटना में लिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष नागल श्री राजकुमार चौहान के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.12.2025 को थाना नांगल पुलिस द्वारा द्वारा गबन के उद्देश्य से लूट की झूठी सूचना का पर्दाफाश करते हुए आरोपी चालक/**अभियुक्त सर्वजीत सिंह पुत्र संतोक सिंह निवासी बंजरबाग थाना सदर होशियारपुर (पंजाब)** को मौके से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर बस के अंदर छिपाकर रखी गयी 14,100/- रूपये नकदी, 01 मोबाइल फोन व बस की एक चाबी बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त/चालक सर्वजीत सिंह उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि बस मालिक का काफी पैसा जो उसे पिछली कुछ बुकिंग से आनलाइन/नकद आया था, उस पैसो को अपनी जरुरतों व मोज-मस्ती पर खर्च कर दिया था और मालिक को पैसा ना देना पड़े इस कारण योजना के तहत पैसा हड़पने के उद्देश्य से पुलिस व बस मालिक को लूट की झूठी सूचना दे दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सर्वजीत सिंह पुत्र संतोक सिंह निवासी बंजरबाग थाना सदर होशियारपुर पंजाब

बरामदगी का विवरण-

14100/- रूपये नकद, 01 मोबाइल फोन वीवो व 01 बस की चाबी

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 122/2024 धारा 323,324,341,506,34 भादवि थाना सदर होशियारपुर पंजाब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थाना प्रभारी श्री राजकुमार चौहान थाना नागल सहारनपुर
2. उ0नि0 योगेन्द्र सिंह थाना नागल सहारनपुर
3. हे0का0 1290 मोहित मलिक थाना नागल सहारनपुर

दिनांक- 15.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **01 वारण्टी अभियुक्त सावेज पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0-2161/23 धारा 379/411 भादवि व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षतिग्रस्त निवारण अधि0 चालानी थाना चिलकाना (श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय स0पुर) नियत तिथि 16.12.25 में ग्राम दुमझेडा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सावेज पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. *उ0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
2. *का0 1700 दीपक कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*

दिनांक: 15-12-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे मे एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकलाने की धोखाधड़ी में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 अदद एटीएम कार्ड व 8000/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 14.12.2025 को वादी की दाखिला तहरीर बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का एटीएम कार्ड बदलकर 15,000/- रूपये की निकाल लेने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 376/25 धारा 318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 12 घण्टे में **01 वांछित अभियुक्त अश्वनी चौहान उर्फ काका पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासी मौहल्ला लक्ष्मीनगर गलीरा चौक थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को रूड़की रोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद एटीएम कार्ड व 8000/- रूपये नकद बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2)/317(3) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अश्वनी चौहान उर्फ काका पुत्र स्वलक्ष्मीनगर गलीरा चौक थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर 0श्यामलाल निवासी मौ 0

बरामदगी का विवरण-

- *04 अदद एटीएम (अलग अलग बैंक के)*
- *8000/- रूपये*

अभियुक्त अश्वनी चौहान का अपराधिक इतिहास

1. *मु0अ0सं0 376/25 धारा 318(4)/317(3)/317)2(बीएनएस थाना फतेहपुर, सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 431/25 धारा 303(2)/318(4)/317(2) बीएनएस थाना मण्डी, सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 355/25 धारा 420/379/411/34 बीएनएस थाना सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर*
4. *मु0अ0स0 356/25 धारा 420/379/411/34 बीएनएस थाना सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री मशकूर अली थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
3. *है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
4. *है0का0 40 सुनील कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
5. *का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*

दिनांकः 15.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचंद सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 02 वारण्टी ***अभियुक्तगण 1. सुरजीत पुत्र प्रीतम सिंह निवासी नन्द विहार कालोनी नुमाइश कैम्प रोहिणी कूलर फैक्ट्री वाली गली थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*** *को संबंधित वाद सं0 – 2659/23 धारा 138 एनआई एक्ट थाना को0नगर स0पुर नियत दिनांक 19.12.2025 को मौहल्ला नन्द विहार से व* ***2. रिम्पी उर्फ अजय पुत्र कश्मीरा सिंह निवासी गढी मलूक थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*** *को संबंधित वाद सं0 1982/22 मु0अ0सं0 99/22 धारा 307/34 भादवि नियत दिनांक 15.12.2025 को मौहल्ला गढी मलूक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. सुरजीत पुत्र प्रीतम सिंह निवासी नन्द विहार कालोनी नुमाइश कैम्प रोहिणी कूलर फैक्ट्री वाली गली थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

2. रिम्पी उर्फ अजय पुत्र कश्मीरा सिंह निवासी गढी मलूक थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री जोगेन्द्र पाल सिंह थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

2. हे0का0 1258 विकास कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

3. का0 2486 जितेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

दिनांक- 15.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना फतेहपुर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी धनराशि से 25000/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरणः-

दिनांक 28.11.2025 को पीडित दीवान सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी कस्बा छुटमलपुर फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा आनलाइन साइबर पोर्टल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा साइबर फ्राड करके पीडित के खाते से कुल 50000/- रूपये की ठगी कर लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर साइबर हेल्प डेस्क पर शिकायत सं0 23111250192779 दर्ज करायी थी ।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में *पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा दिनांक 14.11.2025 को साइबर शिकायत संख्या 23111250192779 में प्रभावी कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर पीडित दीवान सिंह उपरोक्त के साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी 50000 रुपये मे से राशि 17000 रुपेय की धनराशि बैंक के माध्यम से होल्ड करायी गयी थी ।*

इसी क्रम में उपरोक्त साइबर शिकायत संख्या में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 15.12.2025 को पीडित दीवान सिंह   उपरोक्त की साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गयी राशी 50000 रुपये में से 25000 रुपये की धनराशि पीडित के खाते में वापस *करायी । पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर फतेहपुर पुलिस का आभार प्रकट किया ।*

धनराशि वापस कराने वाली साइबर टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सजल कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर सोनम थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. हे0का0 605 भुपेन्द्र मान थाना फतेहपुर सहारनपुर

दिनांक: 15.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारन्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा कार्यवाहन थाना प्रभारी श्री सुरेन्द्र सिह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर 01 वारण्टी ***अभियुक्त मांगेराम पुत्र बुद्दू निवासी ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद संख्या 4072/25 धारा 494 भादवि चालानी थाना बिहारीगढ को ग्राम सतपुरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मागेंराम पुत्र बुद्दू निवासी ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 हवन सिंह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर*
2. *का0 2014 राहुल कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर*

दिनांक: 15.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से कुकर्म के प्रयास के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनांक 14.12.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त गौरव पुत्र महिपाल निवासी ग्राम भगवानपुर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया के 17 वर्षीय पुत्र के साथ कुकर्म करने का प्रयास करने तथा किसी को बताने पर मारपीट तथा शिकायत करने वाले वादिया के साथ भी मारपीट, गाली गलौच एव जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 282/25 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस व 17/18 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बडगांव श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगांव पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 वांछित **अभियुक्त गौरव पुत्र महिपाल निवासी ग्राम भगवानपुर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर** को ग्राम भगवानपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पताः-

गौरव पुत्र महिपाल निवासी ग्राम भगवानपुर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1- प्र0नि0 श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2- उ0नि0 श्री सतीश चन्द्र सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3- उ0नि0 श्री हितेश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4- कां0 1569 अमरदीप पंवार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
5- हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 15.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा सट्टे की खाईबाड़ी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 4000/- रूपये नकद व 52 पत्ते ताश के बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं जुआ/सट्टा की खाईबाड़ी आदि की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त ***पवन पुत्र हरि सिंह नि0 खुर्जा मील थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*** *को खुर्जा मील कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 52 पत्ते ताश व 4000/- रू0 नकद बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 543/2025 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

पवन पुत्र हरि सिंह नि0 खुर्जा मील थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- *4000/- रूपये नगद*
- *52 पत्ते ताश*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 धीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 1298 अरविन्द कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
4. *का0 1826 मोनू कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*

दिनांक: 15.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पेड़ काटने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 ट्रैक्टर महिन्द्रा, 60 टुकड़े बड़े तथा 45 टुकड़े छोटे (आम के पेड के हरे तने कटे हुये) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु हरे पेडों को बिना अनुमति के काटने वाले व परिवहन करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतू लगातार अभियान चलाया जा रहा है । अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 15.12.2025 को चैकिग के दौरान 01 अभियुक्त **इस्तकार पुत्र आलिम निवासी सालरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** *को ईदगाह रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त इस्तकार उपरोक्त से ट्रैक्टर महिन्द्रा 575 डीआई एक्सपी प्लस लाल रंग जिसके पीछे हल्के नीले रंग की ट्राली बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर में आम के पेड के हरे तने कटे हुये 60 टुकड़े बड़े तथा लगभग 45 टुकड़े छोटे बरामद हुए, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर* **मु0अ0सं0 544/2025 धारा 4/10 उ0प्र0 वन संरक्षण अधिनियम पंजीकृत** *किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इस्तकार पुत्र आलिम निवासी सालरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

- *01 ट्रैक्टर महिन्द्रा*
- *60 आम के पेड के तने के पीस हरे*
- *45 छोटे व पतले टहने*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

5. *उ0नि0 श्री पंकज शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*
6. *है0का0 697 रोहित थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*
7. *है0का0 652 प्रदीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*

दिनांक: 15.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना बेहट पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरणः- दिनाँक 23.08.2025 को समय 02.30 बजे वादी श्री बिजेन्द्र कुमार पुत्र श्री नत्थू सिंह निवासी ग्राम रवासौली थाना बेहट जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल UP11CJ9058 स्पलैण्डर प्लस रंग काला को सडक किनारे रजवाहे पर रवासौली से चोरी कर ले जाने के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0स0 370/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्वयाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये थे। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित **अभियुक्त सोहेल कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम रण्डौल थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को बेहट से उसण्ड रोड पर गैस अजेन्सी के पास उसण्ड की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गई मो0सा0 नं0 UP11CJ9058 स्पलैण्डर प्लस रंग काला बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

सोहेल कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम रण्डौल थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 चोरी की मो0सा0 UP11CJ9058 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 370/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बेहट)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री लोकेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. कां0 2210 लीलाधर थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
4. कां0 900 सचिन कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर

दिनांकः 15.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत कुल 21 अभियुक्त शान्ति भंग में गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत शांति व्यवस्था भंग करने वाले अभियुक्तो पर जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.12.2025 को थाना बेहट पर तैनात उ0नि0 श्री बच्चू सिंह व का0 2183 संजू सैम जाँच प्रार्थना पत्र में मामूर थे, तो ग्राम खुर्रमपुर में गाँव के बाहर कुछ लोग इकट्ठा थे जिनमें ***1. प्रीतम पुत्र रूडा निवासी ग्राम जैतपुर कला थाना बेहट जनपद सहारनपुर कला थाना बेहट जनपद सहारनपुर 2. मोहन पुत्र स्व0 मुन्नालाल 3. धर्मवीर पुत्र स्व0 मुन्नालाल नि0गण ग्राम बाबैल बुजुर्ग थाना बेहट जनपद सहारनपुर 4. सुमित पुत्र जयपाल 5. विनोद पुत्र पाल्लेराम 6. अजय पुत्र मेहरचन्द 7. जितेन्द्र पुत्र धर्म सिंह नि0गण ग्राम बाबैल बुजुर्ग थाना बेहट 8.दीपक पुत्र अमर सिंह 9.विकास कालडा पुत्र विजयपाल निवासीगण ग्राम अब्दुल्लापुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर 10. लोकेश पुत्र आशाराम 11. लक्ष्य पुत्र तेजपाल 12.तेजपाल पुत्र महेन्द्र 13. पंकज पुत्र स्व0 गोपाल 14. मोनू पुत्र गोपाल नि0गण ग्राम करौदी थाना बेहट जनपद सहारनपुर15. तेजपाल पुत्र मुकन्दा नि0 ग्राम नन्हैडा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 16.संजीव पुत्र राजेश 17. राजेश पुत्र करेशन 18. सोमचन्द्र पुत्र चेतराम 19. इसरार पुत्र रोनक अली 20. रिजवान पुत्र मुमताज 21. काला पुत्र सुलेमान निवासी गण सलेमपुर गदा थाना बेहट जिला सहारनपुर*** *आदि अलग-अलग प्रकरणों में आमदा फसाद हो रहे थे। पुलिसकर्मियों व मौके पर मौजूद लोगों द्वारा समझाने का काफी प्रयास किया गया तो नहीं माने और अधिक उत्तेजित होकर आमदा फसाद होने लगे। थाना बेहट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में चालानी कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय एसडीएम बेहट के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

1. प्रीतम पुत्र रूडा निवासी ग्राम जैतपुर कला थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मोहन पुत्र स्व0 मुन्नालाल नि0 ग्राम बाबैल बुजुर्ग थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. धर्मवीर पुत्र स्व0 मुन्नालाल नि0 ग्राम बाबैल बुजुर्ग थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. सुमित पुत्र जयपाल नि0 ग्राम बाबैल बुजुर्ग थाना बेहट
5. विनोद पुत्र पाल्लेराम नि0 ग्राम बाबैल बुजुर्ग थाना बेहट
6. अजय पुत्र मेहरचन्द नि0 ग्राम बाबैल बुजुर्ग थाना बेहट
7. जितेन्द्र पुत्र धर्म सिंह नि0 ग्राम बाबैल बुजुर्ग थाना बेहट
8. दीपक पुत्र अमर सिंह विजयपाल निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
9. विकास कालडा पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
10. लोकेश पुत्र आशाराम नि0 ग्राम करौदी थाना बेहट जनपद सहारनपुर

11. *लक्ष्य पुत्र तेजपाल नि0 ग्राम करौदी थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
12. *तेजपाल पुत्र महेन्द्र नि0 ग्राम करौदी थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
13. *पंकज पुत्र स्व0 गोपाल नि0 ग्राम करौदी थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
14. *मोनू पुत्र गोपाल नि0 ग्राम करौदी थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
15. *तेजपाल पुत्र मुकन्दा नि0 ग्राम नन्हैडा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर*
16. *संजीव पुत्र राजेश निवासी गण सलेमपुर गदा थाना बेहट जिला सहारनपुर*
17. *राजेश पुत्र करेशन निवासी गण सलेमपुर गदा थाना बेहट जिला सहारनपुर*
18. *सोमचन्द्र पुत्र चेतराम निवासी गण सलेमपुर गदा थाना बेहट जिला सहारनपुर*
19. *इसरार पुत्र रोनक अली निवासी गण सलेमपुर गदा थाना बेहट जिला सहारनपुर*
20. *रिजवान पुत्र मुमताज निवासी गण सलेमपुर गदा थाना बेहट जिला सहारनपुर*
21. *काला पुत्र सुलेमान निवासी गण सलेमपुर गदा थाना बेहट जिला सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री बच्चू सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 मौ0 उमर थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
4. *उ0नि0 श्री करन नागर थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
5. *उ0नि0 श्री अरविन्द तोमर थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
6. *है0का0 902 गोविन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
7. *का0 2164 जसवन्त तोमर थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
8. *का0 94 सन्दीप यादव थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
9. *का0 2183 संजू सैम थाना बेहट जनपद सहारनपुर*

दिनांक- 15.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना साइबर क्राइम द्वारा साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी 30,000/-रूपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरणः-

दिनांक 22/08/2025 को आवेदक श्री विशाल शर्मा पुत्र जोगिन्दर लाल शर्मा निवासी म0नं0-729 सैक्टर 16डी चंडीगढ हरियाणा की लिखित तहरीर डाक के माध्यम से प्राप्त हुई जिसमें आवेदक को शादी का झांसा देकर 30,000/- रूपये की आनलाइन धोखाधडी हो जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में *पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र में प्रभावी कार्यवाही करते हुए ठगी गयी धनराशि को सम्बन्धित बैंक होल्ड कराया गया था।*

इसी क्रम में उपरोक्त शिकायत संख्या में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 15.12.2025 को आवेदक विशाल शर्मा उपरोक्त की साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गयी राशि 30,000 रूपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापस *करायी गयी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस का आभार प्रकट किया।*

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश सिंह, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री साबिर अली थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर*
3. *है०का० 712 निशान्त तोमर, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर*
4. *का0 103 शकुन कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर*
5. *कां0 89 अंकित कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर*
6. *कां0 2087 अंकित कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर*

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

दिनांक- 15.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना साइबर क्राइम द्वारा साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी 45,000/- रुपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडिता के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरणः-

दिनांक 07/09/2025 को वादिया श्रीमती अनीता रानी पत्नी अमन गाबा निवासी 01 पंत विहार दिल्ली रोड़ थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया को फोन द्वारा प्रिन्टर खरीदने व अधिक धनराशि वादिया के खाते में डालने का झूठा दावा कर वादिया से 45,000/- रूपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर **मु0अ0सं0 59/2024 अन्तर्गत धारा 420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट** के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए धनराशि को सम्बन्धित बैंक होल्ड कराया गया था।

इसी क्रम में मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 15.12.2025 को आवेदिका अनीता पत्नी अमन गाबा निवासी 01 पंत विहार दिल्ली रोड़ थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर उपरोक्त की साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गयी 45,000 रुपये की शतप्रतिशत धनराशि को पीडिता के खाते में वापस करायी गयी। पीडिता द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस का आभार प्रकट किया।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री इंद्रेश सिंह, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
2. नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
3. है०का० 712 निशान्त तोमर, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
4. है०का० 1141 रोहित कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
5. का० 103 शकुन कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
6. कां0 710 राकेश कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

दिनांक 15-12-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 जनपद सहारनपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 20.01.2004 को वादी निरीक्षक श्री पी0आर0 शेखर थाना तीतरों जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. प्रदीप पुत्र प्रेम निवासी, 2. राजेन्द्र पुत्र निरंजन, 3. प्रेम पुत्र नारायण, 4. नरेश पुत्र नारायण व 5. ज्ञानसिंह पुत्र नारायण समस्त निवासीगण ग्राम मनोहरा थाना तीतरों जनपद सहारनपुर उपरोक्त द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु अपराध कारित करना व जनता में भय व्याप्त करने की सूचना पर मु0अ0स0-04/2004 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना तीतरों जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-3ए/2005 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा ***आज दिनांक 15.12.2025 को अभियुक्त प्रदीप पुत्र प्रेम निवासी ग्राम मनोहरा थाना तीतरों जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0-04/2004 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित*** *किया गया।*

नोटः-अभियुक्तगण 1. राजेश पुत्र निरजंन 2. प्रेम पुत्र नारायण 3. नरेश पुत्र नारायण 4. ज्ञानसिंह पुत्र नारायण समस्त निवासीगण ग्राम मनोहरा थाना तीतरों जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0-04/2004 में धारा 2/3 गैग0 में पूर्व में ही दोषसिद्ध किया जा चुका हैं।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सिंह चौहान
विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री हरिप्रकाश कसाना
पैरोकार का0 2393 आजाद सिंह थाना तीतरों सहारनपुर

दिनांकः-15.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना सरसावा मिशन शक्ति एण्टीरोमियो पुलिस टीम द्वारा सड़क पर आती जाती महिलाओ/छात्राओं पर अश्लील फब्तिया कसने वाले 03 मनचले अभियुक्त गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व महिलाओ की सुरक्षा हेतु चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 15.12.2025 को थाना सरसावा मिशन शक्ति एण्टी रोमियो टीम द्वारा सडक पर आती जाती महिलाओं/छात्राओं पर अश्लील फब्तियां कसने वाले **03 मनचले अभियुक्तगण 1. मनीष पुत्र रघुवीर निवासी मोहल्ला कानूनगोयान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को कस्बा सरसावा दिगम्बर जैन इण्टर कालेज के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी के आधार अभियुक्त मनीष उपरोक्त के विरूद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 538/25 धारा 296 बीएनएस के पंजीकृत किया गया **व 2. शोएब पुत्र मोहम्मद अनीस निवासी मोहल्ला कस्साबान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर 3. मोहम्मद नसीम पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को ग्राम नानू माजरा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त शोएब व नसीम उपरोक्त के विरूद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 539/25 धारा 296 बीएनएस के पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. शोएब पुत्र मोहम्मद अनीस निवासी मोहल्ला कस्साबान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. मोहम्मद नसीम पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. मनीष पुत्र रघुवीर निवासी मोहल्ला कानूनगोयान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली मिशन शक्ति एण्टीरोमियो टीमः

1. म0उ0नि0 अन्नू उपाध्याय थाना सरसावा सहारनपुर ।
2. म0उ0नि0 नेहा उपाध्याय, सरसावा सहारनपुर ।
3. है0का0 661 सम्राट, सरसावा सहारनपुर ।
4. म0का0 2123 सरिता थाना सरसावा सहारनपुर ।
5. म0का0 997 दीपा थाना सरसावा सहारनपुर ।
6. का0 2525 अनूप थाना सरसावा सहारनपुर ।

दिनांक: 15.12.2025

-प्रेस नोट-

<u>सहारनपुर पुलिस की त्वरित कार्यवाही</u>

थाना देवबन्द मिशन शक्ति एण्टीरोमियो टीम द्वारा सड़क पर आती जाती महिलाओं/युवतियों पर अश्लील फब्तियाँ कसने वाला 01 मनचला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम, नारी सुरक्षा एवं सम्मान को सुदृढ़ करने हेतु चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमपरपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द मिशन शक्ति एण्टी रोमियो टीम द्वारा दिनांक 14.12.2025 को गश्त के दौरान आती जाती महिलाओं/युवतियों पर अश्लील फब्तियाँ कस रहे 01 मनचले अभियुक्त ***अभिषेक कुमार पुत्र राजकुमार नि0 ग्राम अलीपुरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*** *को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0-1096/25, धारा 296 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

अभिषेक कुमार पुत्र राजकुमार नि0 ग्राम अलीपुरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

पुलिस टीम का विवरणः-

1. *म0उ0नि0 प्रियंका चौधरी, थाना देवबन्द, सहारनपुर।*
2. *का0 2471 नरेन्द्र कुमार थाना देवबन्द, सहारनपुर।*
3. *का0 517 पंकज कुमार थाना देवबन्द, सहारनपुर।*